झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–परि०वि०(स्था०)–33/2018 70 /राँची,दिनांक 07.05.2019

परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के रिक्त पद पर सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सहायक निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–119, दिनांक–05.02.2019 द्वारा सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों से प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग करते हुए आवेदन अग्रसारित किया गया है।

2. मोटरयान निरीक्षक के रिक्त पद पर सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के संविदा पर नियुक्ति हेतु राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, राँची से स्क्रीनिंग के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर निर्णय हेतु परिवहन विभाग के अधिसूचना सं०–152, दिनांक–08.02.2019 द्वारा चयन समिति का गठन किया गया है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त आवेदनों में से अहर्त्ताधारी आवेदकों का दिनांक–13.02.2019 को सम्पन्न साक्षात्कार के पश्चात चयन समिति द्वारा निम्न अनुशंसित अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर संविदा पर नियुक्त किया जाता है–

क्र०सं०	आवेदक का नाम	पता	कोटि
1	श्री अमोद कुमार त्रिपाठी	टाटीसिलवे, राँची	सामान्य
2	श्री अरूण कुमार दास	इचाक, हजारीबाग	सामान्य
3	श्री रजनीकांत सिंह	चुटिया, राँची	सामान्य
4	श्री अरूण कुमार झा	डुमरडगा, बुटी, राँची	सामान्य
5	श्री अशोक कुमार सिंह	मनुपुर, शरण, बिहार	सामान्य
6	श्री बहादुर प्रसाद वर्मा	मिर्जाडीह, बजाटो, गिरिडीह	सामान्य
7	श्री नरेन्द्र प्रसाद यादव	फतेहपुर, सबोर, भागलपुर	सामान्य
8	श्री राम कृष्ण तिवारी	मुरोदपुर, झोवन, छपरा, बिहार	सामान्य
9	श्री आशीष कुमार महतो	लालाडीह, बलियापुर, धनबाद	पिछड़ा वर्ग (अनु०–I)

3. उपरोक्त अभ्यर्थियों की मोटरयान निरीक्षक के पद पर संविदा पर नियुक्ति 01 (एक) वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए मान्य है। कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं आवश्यकता होने पर एक–एक वर्ष के लिए अधितम दो पर सेवा अवधि विस्तार किया जायेगा।

4. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है वे 02 माह के अंदर अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। भविष्य में यदि किसी अभ्यर्थी का शैक्षनिक योग्यता एवं अन्य निर्धारित अहर्त्ता से संबंधित प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो बिना कारण बताये उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

6. सभी चयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि दिनांक–31.05.2019 तक परिवहन विभाग, एफ०एफ०पी० भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देना सुनिश्चित करें।

सचिव, परिवहन विभाग के आदेश से

7/5/19

संयुक्त सचिव

परिवहन विभाग,

झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–परि०वि०(स्था०)–33/2018 549 /राँची,दिनांक 07.05.2019

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, झारखण्ड, राँची/संयुक्त परिवहन आयुक्त/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/उप सचिव/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ अवर सचिव, परिवहन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी (स्था०)/सभी मोटरयान निरीक्षक/उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/5/19

संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग,
झारखण्ड, राँची।